



बेटी है वरदान, इसका करो सम्मान
कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर राज0

प्रिन्टिंग, फ्लेक्स, बैनर, हॉर्डिंग, स्टीकर्स, पेम्पलेट, पोस्टर सप्लाई की खुली बोली (दर संविदा) हेतु आवेदन प्रपत्र

खुली बोली (दर संविदा) क्रमांक 07/2022 दिनांक 10.01.2022

1. अनुमानित लागत : 1.99 लाख रुपये
2. बोली प्रपत्र का मूल्य : 200/- रुपये
3. बोली प्रतिभूति राशि : 3980/- रुपये
4. बोली फॉर्म बेचने की तिथि : दिनांक 11.01.2022 को प्रातः 11 बजे से
5. बोली फॉर्म बेचने एवं कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि : दिनांक 18.01.2022 को दोपहर 03.00 बजे तक
6. बोली प्रस्ताव को खोलने की तिथि : दिनांक 18.01.2022 को दोपहर 04.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष
7. बोलीदाता फर्म का नाम व पता :
8. कार्यालय का पता : कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग ,
जयपुर रोड अजमेर , फोन नं. 0145-2627154,
ईमेल: AJMER.WE@RAJASTHAN.GOV.IN
9. बोली फॉर्म शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि : (1) 200/-रु (दो सौ रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट नंबर
दिनांक बैंक का नाम जो
उप निदेशक महिला अधिकारिता अजमेर के पक्ष में देय है,
संलग्न कर दिया गया है।
(2) 3980/-रु (तीन हजार नौ सौ अस्सी रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट नंबर
दिनांक बैंक का नाम जो
उप निदेशक महिला अधिकारिता अजमेर के पक्ष में देय है,
संलग्न कर दिया गया है।
10. मैं/हम कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग अजमेर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या 07 दिनांक 10.01.2022 में वर्णित समस्त शर्तों से तथा संलग्न पत्रों में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। (इनके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण में मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) समस्त शर्तों की पालना हेतु हम सहमत हैं।
11. कार्य उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग अजमेर/सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्देशित अनुसार किया जायेगा । सामग्री की आपूर्ति निर्देशित समय पर ही की जावेगी।
12. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है। जीएसटी की दरे एफओआर के समय की मान्य होगी ।
13. विनिर्माता /डीलर आदि का घोषणा प्रपत्र एस.आर 11 संलग्न है।
14. बोलीदाता फर्म को कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र/ साक्ष्य प्रमाण संलग्न है ।
15. बोलीदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य कोई शर्त अंकित की जाती है तो बोली को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग अजमेर को होगा।
16. हम अपनी दर संलग्न Annexure-J में अंकित करते हैं।
17. पैन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है।
18. किसी राजकीय संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने का प्रमाण पत्र हेतु 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न है।

19. प्रिन्टिंग, फलेक्स, बैनर, हॉर्डिंग, स्टीकर्स , पेम्पलेट, पोस्टर के नमूने संलग्न करने होंगे। जिस पर निविदादाता का नाम अंकित होना चाहिए।
20. टर्न ओवर 04.00 लाख होने बाबत सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
21. फर्म का शॉप एक्ट/उद्योग विभाग/बिक्री कर विभाग/सहकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या दिनांक (प्रति संलग्न है)
22. इस दर संविदा की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 तक के लिये होगी।
23. बोली के साथ संलग्न किये गये प्रपत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म / संस्था की मोहर

**प्रिन्टिंग, फलेक्स, बैनर, हॉर्डिंग, स्टीकर्स, पेम्पलेट, पोस्टर सप्लाई की खुली बोली (दर संविदा)
हेतु वांछित तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज**

क्र०सं०	तकनीकी योग्यता में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची	वांछित प्रपत्र
1.	फर्म/संस्था के पंजीयन की प्रति (शॉप एक्ट/उद्योग विभाग/बिक्री कर विभाग/सहकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन)	
2.	बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 200/- का डीडी	
3.	बिड सिक्यूरिटी 3980/- का डीडी	
4.	जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	
5.	जीएसटी भुगतान का नवीनतम चालान	
6.	पैन कार्ड	
7.	एस0आर0 प्रपत्र 11 में धोषणा पत्र	
8.	किसी संस्थान द्वारा फर्म ब्लेक लिस्टेट नहीं है का 50/- रु० के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर धोषणा पत्र	
9.	फर्म/संस्था को वांछित कार्य का 3 वर्ष का सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में अनुभव होने बाबत प्रमाण पत्र	
10.	निविदा शर्तों की हस्ताक्षर प्रति	
11.	टर्न ओवर 04.00 लाख होने बाबत सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 प्रमाणित प्रति संलग्न है।	
12.	सामग्री के नमूने	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म / संस्था की मोहर



बेटी है वरदान, इसका करो सम्मान

कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर राज0

प्रिन्टिंग, फ्लेक्स, बैनर, हॉर्डिंग, स्टीकर्स, पेंपलेट, पोस्टर सप्लाई की खुली बोली (दर संविदा) हेतु शर्त :-

1. बोलियों निर्धारित बोली प्रपत्र जो कि कार्यालय से जारी किया गया है अथवा <http://sppp.rajasthan.gov.in> पोर्टल से डाउनलोड किया गया हो, पर ही प्रस्तुत की जानी है। बोली प्रपत्र कार्यालय की स्टोर शाखा से राशि रु. 200/- जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पोर्टल से डाउनलोड किये जाने पर बोलीशुल्क राशि रु. 200/- बोली प्रस्तुत करते समय जमा कराना होगा। बोली दो लिफाफो में संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें एक पर प्रिन्टिंग, फ्लेक्स, बैनर, हॉर्डिंग, स्टीकर्स, पेंपलेट, पोस्टर सप्लाई कार्य हेतु तकनीकी बोली एवं दूसरी पर वित्तीय बोली लिखकर दोनों लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली में सफल पाये गये बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
2. स्वीकृत दरें 31.03.2022 तक मान्य होगी एवं वर्ष पर्यन्त आदेशानुसार सामग्री आदेश प्राप्ति के सातु दिन में सप्लाई करनी होगी।
3. दरें एफ.ओ.आर निर्दिष्ट स्थान पर एवं जहाँ कहीं उन्हें आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया जावे होंगी। जिसके लिए अलग से कोई पृथक चार्ज देय नहीं होगा।
4. संलग्न परिशिष्ट (Annexure) A, B, C, D & E अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
5. तकनीकी बोली के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि जमा का प्रमाण, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. भुगतान का नवीनतम चालान, एस.आर. प्रपत्र-11, पैन कार्ड, लघुउद्योगों की दशा में आवश्यक प्रमाण पत्र आदि की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं बोली प्रपत्र हस्ताक्षरित शर्तों सहित संलग्न करनी होगी। बोलीदाता को किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, प्राधिकरण, निगम द्वारा ब्लैकलिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। प्रमाण पत्र हेतु 50/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। टर्न ओवर 04.00 लाख होने बाबत सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 प्रमाणित प्रति संलग्न है।
6. तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोली दाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
7. बोलियां वास्तविक कार्य करने वाली फर्मों द्वारा ही दी जायेंगी। जिसके लिए उन्हें एस.आर. प्रपत्र-11 में घोषणा करनी होगी।
8. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर को अविलम्ब सूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा / बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
9. कोई भी व्यक्ति या फर्म जो उस राज्य में जहाँ उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित जी0एस0टी0 अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, बोली प्रस्तुत नहीं करेगा। रजिस्ट्रीकरण संख्यांक वर्णित किया जाना चाहिए।
10. बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैनिसल से भरी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा बोलीदाता बोली प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य सम्बन्धी दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।
11. दरें अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेंगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटी या उपरिलेखन नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर भय दिनांक करने चाहिए। समस्त प्रभारों एवं करों सहित दरें प्रस्तुत की जावे। दर संविदा 31.03.22 तक के लिए मान्य होंगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
12. दरों की तुलना करते समय राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की भीतर की उन फर्मों द्वारा जो नियमों के अन्तर्गत मुल्य अधिमान हेतु अधिकृत नहीं है, निविदत्त दरों की तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर को शामिल नहीं किया जावेगा। तथापि केन्द्रिय बिक्री कर यदि कोई हो को शामिल किया जावेगा।
13. बोलीयां खोले जाने की दिनांक से वित्तीय वर्ष समाप्ति तक के लिए वैध एवं मान्य होंगी। दर संविदा अनुबंध को RTTP अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार समान कीमत, निबंधको और शर्तों पर 3 मास से अनधिक की कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा।
14. दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 का नियम 29(2-ज) प्रभावी होगा।

15. सफल संस्था को कार्यादेश जारी होने के 7 दिवस में बोली फॉर्म के साथ संलग्न विहित प्रारूप (Anexure- G) में एक अनुबंध 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर उप निदेशक महिला अधिकारिता अजमेर के साथ करना होगा। स्टांप का अनुबंध एवं अनुबंध कराने का दायित्व संस्था का होगा।
16. RTTP अधिनियम 2012 एवं 2013, सामान्य वित्तीय लेखा नियम के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा जारी होने वाले ऐसे दिशा निर्देश/आदेश जो इस खुली बोली आमंत्रण सूचना हेतु प्रासंगिक हो, इस खुली बोली पर लागू होंगे। उक्त नियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार देय आवश्यक टीडीएस कटौती यथा आयकर, जी.एस.टी. आदि फर्म/संस्था के बिल से की जायेगी।
17. बोली में दरों को संलग्न Annexure-J में आईटमवार अलग-अलग दिया जाना है।
18. बोलीदाता उसके पास उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधन की सूची मय अनुभव एवं योग्यता के साथ बोली के साथ उपलब्ध करायेगा।
19. बोलीदाता को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। कार्य के पूर्ण होने के उपरांत बोली की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
20. सफल बोलीदाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य एक दक्ष एवं निपुण व्यक्ति के स्तर का होगा, त्रुटि या संदेह की स्थिति में संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा।
21. सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति /फर्म/एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या सब-लेट नहीं करेगा।
22. सम्पादित किया जाने वाला कार्य/प्रदत्त की गई सामग्री अथवा सेवा निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तों के अनुरूप एवं अध्याधीन होगी।
23. सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा युक्तियुक्त समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधी को निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का निरीक्षण कराया जावेगा एवं आवश्यक होने पर उचित निर्देशन प्राप्त करेगा।
24. निरीक्षण /परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नहीं होगा उसे रद्द करने का अधिकार कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर को होगा।
25. समस्त विवादों का कार्य क्षेत्राधिकार अजमेर जिला होगा।
26. बोली के साथ रुपये 3980/- अक्षरों रुपये तीन हजार नौ सौ अस्सी रुपये मात्र की बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपनिदेशक महिला अधिकारिता अजमेर के नाम संलग्न करना होगा। इस बोली प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितियों में समपरहण किया जा सकेगा—
 1. जब बोलीदाता बोली खोले जाने के पश्चात किन्तु बोली की स्वीकृति से पूर्व बोली वापिस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 2. जब बोलीदाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई सम्पादित नहीं करता।
 3. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात बोलीदाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता।
 4. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मर्दों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
 5. यदि बोली लगाने वाला RTTP अधिनियम और नियम के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
27. बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 80(2) में वर्णित सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करना होगा।
28. किसी भी बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81(3) में वर्णित हित के विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिये।
29. बोलीदाता को उत्तम क्वालिटी की सामग्री सप्लाई करनी होगी एवं सप्लाई जब भी प्राप्त की जायेगी, उसका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वह कार्यालय के आदेशानुसार स्वीकृत स्पेसिफिकेशन्स अथवा अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है।
30. कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर को किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को/किसी मांग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
31. इस दर संविदा की अवधि के दौरान बोलीदाता को किसी प्रकार की न्यूनतम सामग्री की सप्लाई की गारन्टी नहीं दी जाती है। कार्यालय की आवश्यकतानुसार सामग्री सप्लाई करने का समय-समय पर सप्लाई आदेश जारी किया जायेगा।

32. दर संविदा एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ न्यूनतम बोली दर पर समांतर दर पर संविदाओं के रूप में कार्यालय की आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।
33. सफल बोलीदाता को निर्धारित अवधि में बोली सूचना की अनुमानित राशी का 5.0 प्रतिशत प्रतिभूति बैंक डी. डी./बैंकर चैक के द्वारा जो कि उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग अजमेर के नाम देय होगा। जिसमें अमानत के रूप में जमा कराई गई राशी का समायोजन किया जा सकेगा। इस प्रतिभूति राशी का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः निम्नानुसार समपरहण किया जा सकेगा—
1. जब संविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तों को भंग किया जाता है।
 2. जब बोलीदाता सन्तोष पद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में सफल रहता है।
 3. इस सम्बन्ध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड—प्रथम के भाग द्वितीय के नियम 68 में अभिकथित प्रारूप एस. आर. 16 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 को इस संविदा / बोली का भाग समझा जावेगा जो बोलीदाता पर सामान्य रूपसे प्रभावी समझा जावेगा।
34. बोली प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल बोलीदाता कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर/सक्षम अधिकारी से आदेश की प्राप्ति पर कालावधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।
35. परिनिर्धारित क्षति (लिम्बीडेटेड डेमेज) के साथ सुपुर्दगी अवधि में बढ़ोत्तरी करने के मामले में वसूली निम्न प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों हेतु की जायेगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है
- (i) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 25 प्रतिशत विलम्ब के लिए :-2.5%
 - (ii) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 50 प्रतिशत विलम्ब के लिए :-5%
 - (iii) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 75 प्रतिशत विलम्ब के लिए :-7.5%
 - (iv) आपूर्ति आदेश में निर्धारित अवधि के 100 प्रतिशत विलम्ब के लिए :-10%
- II देरी की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
 - III परिनिर्धारित हानि की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 - IV अगर प्रदायकर्ता(सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदा के अधीन माल की सप्लाई को पूरा करने हेतु समय में बढ़ोत्तरी करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी के लिए आदेश दिया है लेकिन वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरंत उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के पश्चात् करेगा।
 - V अगर माल/सेवा के प्रदाय में विलम्ब बोलीदाता के नियंत्रण से परे बाधाओं के कारणों से हुई हो तब सुपुर्दगी की अवधि में बढ़ोत्तरी परिनिर्धारित क्षति सहित अथवा रहित की जा सकेगी।
 - VI उपरोक्त पश्चात् भी अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सप्लाई नहीं की जाती है तो अनुमोदित फर्म की रिस्क एवं कोस्ट पर कय कर लिया जावेगा। अन्तर राशि की वसूली आदेशित फर्म से की जावेगी अथवा जमा धरोहर राशि से कर ली जावेगी।
36. कार्य के दौरान हुई किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं हानि के लिए सफल बोलीदाता जिम्मेदार रहेगा।
37. प्रदाय की गई समस्त वस्तुएँ बोली प्रारूप में अभिकथित विनिर्देशित, ट्रेडमार्क के अनुरूप होंगी तथा कहीं वस्तुएँ आई. एस.आई.—/आई.एस.ओ.— आदि विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, तो वे वस्तुएँ उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होंगी और उन पर ऐसा मार्क होना चाहिये।
38. यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दिए जाते हैं तो भी बोलीदाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु बाध्य होगा। अतिरिक्त मात्रा के लिए बोली में दी गई दरें एवं शर्तों पर पुनरादेश (रिपीट ऑर्डर) भी दिया जा सकेगा जो मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत तक होगा। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। यदि बोलीदाता ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा किये गये किसी भी कार्य/प्रदाय का भी भुगतान नहीं किया जा सकेगा तथा कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर अथवा सक्षम प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था सीमित बोली से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य बोलीदाता से वसूली योग्य होगा।
39. यदि उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर या सक्षम प्राधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तु के प्रदाय का आदेश नहीं करता या बोली प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम कय करता है तो बोलीदाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
40. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित सक्षम न्यायालय में प्रवृत्त की जावेगी।

41. उपापन समिति न्यूनतम बोली सूचना स्वीकृति करने को बाध्य नहीं है। किसी भी बोली को या उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर के पास होगा।
42. विलम्ब से प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
43. दर स्वीकृति की स्थिति में बोलीदाता को अपने बैंक खाता पास बुक की प्रमाणित प्रति एवं बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता संख्या सही-सही प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में गलत भुगतान होने पर यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

मैं/हम कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा जारी की गई खुली बोली सूचना 07 दिनांक 10.01.2022 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही हैं। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा

उपरोक्त शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

फर्म / संस्था नाम:-

पता:-

Annexure A :- Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (A) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (B) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (C) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (D) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (E) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (F) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (G) disclose conflict of interest, if any; and
- (H) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.--

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (I) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 1. have controlling partners/ shareholders in common; or
 2. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 3. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 4. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 5. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 6. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 7. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer—in-charge/ consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure B :- Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to
for procurement of ----- in response to their Notice Inviting Bids No
..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in
Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure- C :- Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is: Commissioner, Women Empowerment Deptt. Jaipur. The designation and address of the Second Appellate Authority is: Secretary, Women Empowerment Deptt. Jaipur, Rajasthan.

1. Filing an appeal -

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the RTPP Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases -

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

- (d) cancellation of a procurement process;
 - (e) applicability of the provisions of confidentiality
5. Form of Appeal -
- (a) An appeal under pm (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
6. Fee for filing appeal -
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
7. Procedure for disposal of appeal -
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure- D :- Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- ii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose bid is accepted.

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्मिता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से ~~समपहत~~ (Forfeited) कर किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस सेवा प्रदाता कार्य की आपूर्ति का कार्य जहाँ कहीं भी किया है, उस कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह घोषणा करते हैं की हमें किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदाता कार्य के सन्दर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

↑
2
P
12/10

RATE CONTRACT AGREEMENT

This Agreement is made on the ----- day of ----- 2022 between Deputy Director, Women Empowerment, Ajmer having its Office at Ajmer. (Hereinafter referred to as 'DD WE AJMER') –

(FIRST PARTY)

and

M/S -----

having its office -----

(Hereinafter referred to as the eligible 'Bidder')

(SECOND PARTY)

on the terms and conditions set forth hereunder: -

1. The expression of first and second party shall mean and include their Representatives, Heirs, Successors, Legal Representative Administrators, Nominees & Assigns etc.
2. That the duration of this contract shall be from _____ to _____. DD WE AJMER reserves the right to increase duration of this Rate Contract as according to RTPP Act 2012 and Rules 2013 in next financial year as per requirement on same rate, terms & conditions. Supply schedule may be issued in aforesaid period.
3. That the tender form as submitted by the Bidder and all the terms and conditions enumerated therein as well as that in the Purchase Order, provision of which would have superseding effect in case of any contradiction in any condition of the tender and that of the Purchase Order.
4. The conditions of the Tender Form for Open Bid enclosed to the NIB. NO. ----- Dated ----- and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
5. The rates approved for this Rate Contract (Flex Banner, Stikers, Hoardings, Printings supply) are as :-
A- Flex Banner :-
B- Stikers :-
C- Hoardings
D- Printings
6. Purchases Order No. _____ dated _____ issued by the DD WE AJMER and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
7. A. The DD WE AJMER do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the DD WE AJMER will pay through E-Payment/Cheque/D.D or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.
B. 100% payment of bills shall be released by DD WE AJMER after supplies made/Services Provided on receipt of verified bills from the service Provider as per rule .
8. The DD WE AJMER reserves the right to reduce or altogether cancel the approved quantity of supply. The DD WE AJMER shall not be liable for any claim by the Bidder in such an event.
9. The Bidder shall provide services as per the given specification and in accordance with the time given in the order & time schedule.
10. A. If the contractor fails to execute the order / contract within the period specified in the Tender form / supply schedule, and if such failure to deliver / complete in prescribed time as aforesaid have risen from, any unforeseen cause such as strike, fire, accident, act of GOD resulting similar reasons which the DD WE AJMER may find valid for an extension of the time he may extend the period without charging any agreed liquidated damages, His decision shall be final regarding the sufficiency or otherwise of ground for extension of time.
B. Should the Bidder fail to execute the order / contract within the period specified in the Tender Form / Supply Schedule. The DD WE AJMER may at his discretion allow extension of time, subject to recovery from the Bidder as liquidated damages and not by way of penalty, as sum equal to the following percentage of the value of goods which the Bidder has failed to supply for the period of delay as stated below :-

- (a) Delay upto one fourth period of the prescribed delivery Period. - 2 ½% of order price.
- (b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery Period - 5% of order price.
- (c) Delay exceeding one Half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period - 7 ½% of order price.
- (d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery Period. - 10 % of order price.

Notes:

- (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.
- (ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%
- (iii) When the successful Bidder is unable to complete the order / contract within the the specified or extended period the DD WE AJMER shall be entitled to accept supply and get the work done from the open market without notice to the Bidder , but at his risk and cost i.e. Bidder 's Account and risk. The services or any part thereof which the Bidder has failed to supply or if not available, the best and nearest available substitute thereof or to cancel the contract and the Bidder shall be liable for any loss or damage which the DD WE AJMER, sustained by reason of such failure on the part of the Bidder . But the Bidder shall not be entitled to any gain on such purchase made against default. The recovery of such loss or damage shall be made from any sum accruing to the Bidder under this or any other contract with the DD WE AJMER, Rajasthan. If recovery is not possible from the bills and the contractor fails to pay the loss or damage within one month, the recovery shall be made under any law for the time being in force or from any other bills outstanding with the DD WE AJMER.
- (iv) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply of services on account of occurrence of any hindrance, he shall apply in writing to the authority, which has placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.
- (v) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the tenderer.

11. DD WE AJMER reserves the right to conduct sudden/random inspection of the services / goods Provided to check the quality of supplied items at any place even after the final payment. If qualities of supplied goods/services provided are not found up to the mark, Necessary legal action as per law will be taken & suitable deduction shall be made from the bill. The decision of the DD WE AJMER will be final and binding to the supplier firm. In this regard claim of any supplier shall not be accepted.

12. All legal proceedings, arising out of this contract shall be subject to the jurisdiction of the courts situated at Ajmer only.

13. Performance Security Amount Rs. _____ has been deposited in office by bidder before conducting this agreement.

That this Agreement shall bind the above party and their respective heirs, representatives & assigns. In witness there of the DD,WE,AJMER and the Bidder have here unto set and subscribed their respective

In witness where of the parties hereto have set their hands on the day of

Signature of the approved Bidder
For M/s.

Signature for and on behalf of Governor
Deputy Director
Women Empowerment
Ajmer

Witness

Witness

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

Annexure - H

TECHNICAL BID (CHECK LIST)

To be filed by the bidder

(Information to be provided along with the Tender Documents & requisite BID SECURITY, without bid security the Tender shall not be considered for Evaluation)

SN	Particulars	Details to be filled by bidder	Pg. No.
1	Name of the Firm		
2	Name of the Owner (Enclose verification from respective bank/ Partnership Deed/Memorandum of Articles and Association etc.)		
3	Address:- i. Office Address, Phone No, Fax No, Email ii. Factory Address Phone No, Fax No, Email		
4	Manufacturer (Enclose copy of Factory License in case of manufacturer)		
5	Whether Registered with the Industries Department (if yes kindly indicate number with date and validity of SSI Industries along with filled for which SSI certificated held) (Enclose Copy of Permanent SSI Unit Certificate or equivalent)		
6	Factory owned or taken on lease/ Rent (Copy of Ownership / Lease Deed registered with competent authority)		
7	Power/ Electric Connection (Copy of latest Electricity Bill, also confirm whether there is Captive Power facility or not)		
8	GST Registration (Enclose Copy of Certificates of GST)		
9	GST Latest payment challan (Enclose copy)		
10	Income Tax Permanent Account No. (Enclose copy)		
11	BID Form Fee & Bid SECURITY Submitted as per offered quantity (Mention Details of DD)	Bid form Fee Rs. 200/- DD Bid Security Fee Rs. 3980/- DD	
12	Affidavit for SSI Unit (On Rs 100/- non judicial stamp Paper duly Notarized)		
13	Copy of last three year audited annual accounts		
14	A Declaration by Bidder on Rs. 50/- Non Judicial Stamp for not Black Listed by any Govt. deptt./ Agency/ corporations etc. being attached		
15	Declarations of Annexure A to I being duly signed and attached as per Bid conditions.		
16	Bidders have minimum 3 year work experience with government/semi government office (Enclose copy)		

- All the Copies Submitted should be duly self-attested.
- Rajasthan Parties shall be given preference as per rules of Rajasthan Government only on furnishing the latest valid Price Preference Certificate from the Industries Department)
- If required documents not submitted then mention the reason of non submission of documents

Signature of the Bidder with Seal

List of Place of Delivery

S. No.	Place of supply	Description
1	As per direction Deputy Director Women Empowerment , WCD Complex, Ajmer	As per Bid document

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address:

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'R' at the top, a signature 'P' on the left, a signature 'R' in the middle, and a signature 'NS' at the bottom.



बेटी है परदान, इसका करो सम्मान
कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अजमेर राज0

प्रिन्टिंग, फलेक्स, बैनर, स्टीकर्स, पोस्टर सप्लाय हेतु वित्तीय दरें
(वित्तीय बोली लिफाफा न0 2)

"Annexre-J"

क. सं.	सेवा/सामग्री/प्रदाय का विवरण	अनुमानित राशि	बयाना राशि	दरें			दर शब्दों में	दर की ईकाई
				दर	जीएसटी	कुल योग		
1	पम्पलेट 9x11 इंच, 68 GSM कलर पेपर ब्लैक एण्ड व्हाइट प्रिंटिंग दोनो तरफ	199000	3980					प्रति हजार
2	ब्रोशर तीन फोल्ड में 11.5x18 इंच दोनो तरफ मल्टीकलर प्रिंटिंग 170 GSM आर्ट पेपर मय फोल्डिंग सहित							प्रति हजार
3	फलेक्स बैनर मय प्रिंटिंग (विभिन्न साईजों में) स्टार 360 ऑन्स मय डिजायनिंग मय रिबिट सहित							प्रति वर्ग फीट
4	फलेक्स बैनर स्टार 350 ऑन्स मय आयरन फ्रेम (1 इंच का एम.एस. पाईप 5 किलो वाला) मय पेस्टिंग साईट पर लगाने की दर सहित							प्रति वर्ग फीट
5	गमिंग स्टीकर उच्च गुणवत्ता युक्त 9x11 इंच मय बेकसाईड में हाफकट सहित मल्टी कलर प्रिंटिंग							प्रति वर्ग इंच
6	पोस्टर 2'x1.5' गमिंग स्ट्रीप सहित							प्रति पोस्टर

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म / संस्था का नाम.....